अध्याय - 3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

अध्याय - 3

सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 नीतिगत पहल

छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) जो 18.10.2007 से लागू है, के अंतर्गत, 4200 टन प्रतिवर्ष कोयले की वार्षिक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिए 8 मि.ट. कोयला निर्धारित किया गया है। ये एजेंसियां राज्य सरकार की एजेंसियां/केन्द्र सरकार की एजेंसियां / राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) / राष्ट्रीय लद्यु उद्योग निगम (एनएसआईसी) इत्यादि अथवा वे उद्योग संघ हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार उचित समझती हो। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी को कोयले कंपनी के साथ एफएस करार करना अपेक्षित होगा। इस प्रकार से अधिसूचित एजेंसी तब तक कोयला का वितरण करना जारी रखेगी जब तक राज्य सरकार उसके अधिसूचना का रद्द करने का निर्णय न ले। ये राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की एजेंसियां अपने निजी वितरण तंत्र बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन उस तंत्र को आम लोगों का विश्वास प्राप्त हो और उसके फलस्वरूप कोयले का वितरण पारदर्शी तरीके से हो सके। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विभागों जिनका इन एजेंसियों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि लक्षित उपभोक्ता के लिए आवंटित कोयले का वितरण उचित और पारदर्शी तरीके से हो और इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। ऐसी एजेंसियों से वसूला गया मूल्य एफएसए करार करने वाले अन्य उपभोक्ताओं का यथा लागू अधिसूचित मूल्य होगा लेकिन वह एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूली जाने वाली आधार मूल्य के अलावा वास्तविक धारा और सेवा प्रभार के रूप में 5% मार्जिन तक वसूलने का हकदार होगा।

वर्ष 2011-12 के लिए 24 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने एजेंसियों के लिए अपने नामांकन / पुष्टि भेजी है जिनके पक्ष में लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए कोयला रिलीज की जानी थी। 40 राज्य एजेंसियां हैं जिन्हें एफएसए के अंतर्गत निकासी के लिए 5.3 मि.ट. कोयला आवंटित किया गया था। परन्तु अभी तक 23 राज्य एजेंसियां एफएसए के अंतर्गत 3.84 मि.ट. कोयले की वार्षिक संविदात्मक मात्रा ले रहे हैं। दिसम्बर, 2011 तक, राज्य एजेंसियों को आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा 1.822 मि.ट. थी।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. में उपभोक्ताओं का एनसीडीपी के पूर्व मौजूद कोर और गैर- कोर क्षेत्र में वर्गीकरण को एनसीडीपी में समाप्त कर दिया गया। एससीसीएल उद्योग विभाग की सिफारिश के आधार पर कोयले की आपूर्ति कर रही है। जिसमें उद्योग विभाग की सिफारिशों पर नियामक मात्रा और सिफारिश की गई मात्रा का उनका अधिकतम अनुमेय कोटा (एमपीक्यू) 75% निर्धारित करने पर विचार किया गया है। वे ईकाईयां जहां मात्रा 350 टीपीएम / 4200 टीपीए (सिफारिश की गई मात्रा का 75%) से कम है, कोयले की आपूर्ति अधिसूचित मूल्य पर की जाती है।

वर्तमान में, एससीसीएल एफएसए के अंतर्गत लद्यु और मध्यम ईकाईयों को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। सभी एफएसए में, आपूर्ति करने / खरीदने के लिए न्यूनतम बाध्यता वार्षिक संविदा मात्रा (एससीक्यू) का 60% रखा गया है। लघु और छोटे-छोटे उद्योगों जिनकी सिफारिश की गई मात्रा 350 टीपीएम से कम (नियामक मात्रा का 75%) है, को गैर-एफएसए श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

3.2 " लागत जमा आधार" पर कोयले की आपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय रूप से गैर-व्यवहार्य विशिष्ट खानों / परियोजनाओं को 12% का आईआरआर सुनिश्चित करने और उत्पादन का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए लागत जमा आधार पर पेशकश की जाती है। उपभोक्ताओं को ऐसे खानों / परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति के लिए लागत जमा करार करना अपेक्षित होता है। प्रारंभ में ऐसी परियोजनाओं को एकमात्र उपभोक्ताओं को लागत जमा आधार पर पेशकश की गई थी और 5 विशिष्ट परियोजनाओं से कोयले की आपूर्ति के लिए 5 लागत जमा करार डब्ल्यूसीएल द्वारा महाजेनको के साथ और 2000 एवं 2008 के बीच एक करार मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लि. के साथ किया गया था। एनसीडीपी के पूर्व, उपभोक्ताओं को स्थायी लिकेंज समिति-दीर्घावधि (एसएलसी(एल-टी) द्वारा लागत जमा लिंकेज दिया गया था। एनसीडीपी के बाद भी, उपभोक्ताओं को लागत जमा आधार पर एलओए जारी करने के लिए एसएलसी (एल-टी) द्वारा सिफारिश की गई है।

इस आशय के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, लागत जमा परियोजनाओं की पेशकश मौजूदा लिंकेज होल्डरों, एफएसए होल्डरों और फिर भावी एलओए आवेदकों को-आईपीपी सहित विद्युत क्षेत्र को वरीयता देते हुए, फिर उसके बाद उर्वरक, सीमेन्ट,

स्पोंज ऑयरन को की जा सकती है। लागत जमा परियोजनाओं की अब पेशकश बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को की जा सकती है और यदि लागू की गई कुल मात्रा अनुमानित उत्पादन से कम होता है, तब शेष मात्रा की पेशकश दीर्घावधि ई-नीलामी के माध्यम से की जा सकती है और ऐसे नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण ऐसे खानों से उत्पादन की लागत को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।

एससीसीएल ने सीमेन्ट और केप्टिव विद्युत यूनिटों को दिए गए एलओए के विरूद्ध कोयले की आपूर्ति के लिए लागत जमा ब्लाकों की पहचान की है। एलओए जारी किए जाने के पश्चात एससीसीएल ने 9 सीमेन्ट यूनिटों और 13 सीपीपी के साथ लागत-जमा श्रेणी के तहत एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि बास्केट लिंकेज के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त कोयला नहीं है। एससीसीएल उन यूनिटों को कोयले की आपूर्ति कर रही है जिन्होंने लागत जमा खानों के प्रारंभ होने तक भारित औसत ई-नीलामी मूल्य पर पहले ही उत्पादन आरंभ कर दिया है।

3.3 ई-नीलामी

एनसीडीपी ने ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की ब्रिकी के लिए एक नई योजना को आरंभ करने के वास्ते मार्ग प्रशस्त किया। ई-नीलामी 2 तरह की होती है अर्थात मौके पर ई-नीलामी और फॉरवर्ड ई-नीलामी। मौके पर ई-नीलामी एनसीडीपी के पूर्व प्रचलित पुरानी ई-नीलामी योजना जैसी ही है जिसमें कोई भी इच्छुक क्रेता नीलामी में भाग ले सकता है। फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, केवल अन्त्य प्रयोक्ता / वास्तविक उपभोक्ता पात्र हैं जिन्हें 1 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान कोयले आपूर्ति का आश्वासन मिला हुआ है। प्रत्येक फॉरवर्ड ई-नीलामी 12 महीनों की अवधि के लिए होगी जिसमें प्रत्येक 3 महीने की तिमाही के बाद चौथी तिमाही होगी और उपभोक्ताओं को एक बार में किसी एक तिमाही अथवा सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी। फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत पेशकश के लिए चयनित संसाधनों में कम से कम 15 दिनों के उत्पादन का अतिरिक्त भण्डार और एफएसए (ईंधन आपूर्ति करार) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को समान्य प्रेषण सुनिश्चित करने के बाद ही होता है। जबकि मौके पर ई-नीलामी के मामले में वर्तमान में पेशकश किए गए कोयले न्यूनतम रिजर्व मूल्य के रूप में अधिसूचित मूल्य से 30% अधिक होता है, फॉरवर्ड ई-नीलामी के मामले में, रिजर्व मूल्य का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या कोई खान लाभ में चल रहा है अथवा नहीं, कोयले की सभी श्रेणी के कोयले की अधिसूचित मूल्य जमा कोयले की अधिसूचित मूल्य का 60% पर निर्धारित होता है। जबकि मौके पर ई-नीलामी नवम्बर, 2007 से लागू है, फॉरवर्ड ई-नीलामी अगस्त, 2009 से शुरू हुई। प्रांरभ में फॉरवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत रिजर्व मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत जमा उचित

रिटर्न अथवा अधिसूचित मूल्य से 100% ज्यादा इसमे से जो भी कम हो के रूप में किया गया था जो 31.03.2010 तक जारी रही। चूंकि यह नोट किया गया था कि इस प्रकार की अधिक रिजर्व मूल्य बाधक बन रहे हैं और इससे वास्तविक निष्पादन में रूकावट पैदा हो रही है, वर्ष के प्रांरभ में रिजर्व मूल्य अधिसूचित मूल्य से 80% अधिक तक कम कर दिया गया था। तब भी निष्पादन उत्साहजनक नहीं पाया गया। इसलिए, वर्ष के मध्य में रिजर्व मूल्य को और अधिक घटाकर 60% कर दिया गया है। एनसीडीपी के अंतर्गत, सीआईएल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीआईएल की अनुमानित वार्षिक उत्पादन का लगभग 10% की पेशकश करे और सफल बोलीदाताओं को आवंटित मात्रा 10% अथवा उससे अधिक रही है।

एनसीडीपी के कार्यान्वयन के बाद ई-नीलामी का निष्पादन नीचे दिया गया हैः-

शीर्ष	**मौके पर ई-नीलामी**				**फॉरवर्ड ई-नीलामी**	
	अप्रैल 2008 - मार्च, 2009	**अप्रैल 2009- मार्च,2010**	**अप्रैल 2010- मार्च,2011**	**अप्रैल 2011- दिस.,2011**	**अप्रैल 2010- मार्च,2011**	**अप्रैल 2011- दिस. 2011**
बोलीदाताओं की सं.	73248	78155	70977	55638	264	211
सफल बोलीदाताओं की सं.	43428	40848	43929	32147	206	166
पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टन में)	919.575	541.392	552.71	390.37	266.11	241.74
आवंटित कुल मात्रा (लाख टन में)	488.744	457.321	465.57	335.11	56.07	43.35
कुल आवंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू. में)	4577.918	4528.956	5048.86	5360.88	522.43	361.21
कुल आवंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू. में)	7237.114	7238.478	9120.92	9335.31	1035.19	752.38
अधिसूचित मूल्य से % वृद्धि	58.1	59.8	80.7	74.1	98.15	108.30

एनसीडीपी के अनुसार, एससीसीएल दिसम्बर, 2007 से ई-नीलामी कर रहा है। दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 के दौरान एससीसीएल द्वारा मौके पर ई-नीलामी के

आयोजन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	**बेची गई मात्रा (लाख टन में)**
2008-2009	26.34
2009-2010	18.61
2010-2011	53.15
2011-2012 (दिसम्बर, 2011 तक)	17.13

3.4 कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपाय :

स्वदेशी कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) सतत खनिक और शटल कार युग्म वाले व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी और एसडीएल / एलएचडी जिसमें उच्च गति से यांत्रिकीकृत ड्रिलिंग आदि की सुविधा हो, को जहां जिओ माईनिंग खनन स्थितियां अनुकूल हो उसे लागू करना।

(ख) कुछ भूमिगत कोयला खानों / ब्लॉकों की पहचान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ उच्च क्षमता से विकास, निर्माण और प्रचालन के लिए की गई है।

(ग) उच्च क्षमता वाले उपकरण का बेंच हाइट और स्ट्रीपिंग अनुपात के अनुरूप उन्नयन।

(घ) विभिन्न सहायक कंपनियों में रेलवे अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि का कार्य प्रगति पर है।

(ड.) उपकरण की उपयोगिता में सुधार।

(च) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।

(छ) सभी नई खानों को यंत्रीकृत किया जा रहा है।

(ज) भूमिगत तथा ओपनकास्ट, दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ाना।

उपर्युक्त के अलावा, सीआईएल ने कोयला उद्योग की वर्षभर रहने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :-

- सभी सहायक कंपनियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ईसी/एफसी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परियोजनाएं समय पर उत्पादन प्रारंभ कर सकें।

- सहायक कंपनियों द्वारा राज्य सरकार की एजेंसियो के साथ अभिज्ञात एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अभिज्ञात एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

एससीसीएल ने कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैंः-

(i) 25 चालू परियोजनाएं 2011-12 के अंत (11वीं योजना के अंतिम वर्ष) तक कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ii) जहां व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया गया है।

(iii) अपेक्षाकृत अधिक गहराई में स्थित भंडारों के निष्कर्षण के लिए उच्च क्षमता वाले लोंगवाल की शुरूआत।

(iv) सतत खनिकों की शुरूआत।

(v) हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) तथा अन्य उपकरणों के क्षमता उपयोग में सुधार लाना।

(vi) ओपनकास्ट खान बड़े हिस्से में उत्पादन में योगदान करते रहेंगे। भूमिगत यांत्रिकीकरण बी एंड पी खानों में कोयले की मैन्युअल लोडिंग को धीरे-धीरे समाप्त करने के साथ स्थिर रखा जाता है। नई खानों को यांत्रिकीकरण के साथ ही खोला जा रहा है।

(vii) भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार लाना।

3.5 आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना

16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों (3 सीसीएल में, 6 एनसीएल में, 3 एसईसीएल में तथा 4 एमसीएल में) की पहचान की गयी थी जहां वर्तमान खानों/परियोजनाओं से 71.30 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बढ़ाया जा सकता था।

ऐसी परिकल्पना है कि कनिहा ओसी, भुवनेश्वरी ओसी, मगध ओसी एवं खादिया ओसी को छोड़कर सभी परियोजनाएं अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करेगा। कनिहा ओसी, भुवनेश्वरी ओसी के लिए सांविधिक मंजूरियों को कठोरतापूर्वक आगे बढाया जा रहा है।

आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं :

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
1	लखनपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	10.00	15.00	5.00	116.54	15	116.54 करोड़ रू. की स्वीकृत पूंजी से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 5 मि.ट. प्रतिवर्ष) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 08 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। 84.399 हेक्टेयर के लिए वनभूमि प्रस्ताव की चरण II मंजूरी की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर प्रतीक्षा है।
2	अशोक ओपनकास्ट सीसीएल	6.50	10.00	3.50	341.63	8.10	10 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। ईएमपी स्वीकृति अप्रैल,08 में मिल गयी। वन भूमि के विलंबित विपथन के कारण कोयले को खाली करने की क्षमता प्रभावित हुई।
3	कनिहा ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	3.50	10.00	6.50	457.77 (96.18 - मौजूदा पूंजी सहित)	2.00	457.77 करोड़ रू. की पूंजी से 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (6.5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) हेतु विस्तार ईएमपी रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। पर्यावरणीय मंजूरी अक्टूबर, 07 में प्राप्त हुई। 167.70 हेक्टेयर वन भूमि की चरण-I जिला

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
							समाहर्त्ता, अंगूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण प्रतीक्षित है। डीएफ द्वारा मुआवजा जंगल कटाई योजना, डीजीपीएस नक्शा, वन्यजीव योजना सहायक कंपनी स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
4	भुवनेश्वरी विस्तार, एमसीएल	10.00	20.00	10.00	490.10 (336.68 - मौजूदा पूंजी सहित)	10.00	490.10 करोड़ रू. की पूंजी से 20 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 10 मि.ट. प्रतिवर्ष) हेतु विस्तार परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 07 में अनुमोदित हो गई है। 10 वृद्धिक मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी अनुमोदन है। 199.55 हेक्टेयर वनभूमि में से 112.52 हेक्टे. के लिए चरण-II के लिए 16.12.2004 (प्रथम 25 वर्ष) को प्राप्त हुई। 86.866 हेक्ट. में पेड़ों की गणना पूरी हो गई है। 20 मि.ट.प्रतिवर्ष के लिए परियोजना रिपोर्ट हेतु ईएसी बैठक मार्च,2011 में आयोजित की गई। ईएसी ने कुछ सूचना मांगी है जिसमें विभिन्न अध्ययन शामिल हैं तथा इसके लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
5	दीपिका ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	20.00	25.00	5.00	675.13	25.00	सीआईएल द्वारा अक्टूबर, 09 में दीपिका ओसी (25 मि.ट. प्रति वर्ष) अनुमोदित की गयी। 25 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी जून 2009 में अनुमोदित की गई। 20 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए कोई अतिरिक्त वनभूमि शामिल नहीं है। 5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक परियोजना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त वन भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
6	गेवरा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	25.00	35.00	10.00	1008.11	35.00	गेवरा विस्तार (35मि.ट. प्रति वर्ष, 10 वृद्धिक) के लिए परियोजना विस्तार का अनुमोदन सीआईएल द्वारा जून, 2011 में किया गया था। 35 मि.ट. प्रति वर्ष के लिए ईएमपी जून, 2009 में प्राप्त किया गया। 491.463हेक्टे. काश्तकारी जमीन जुलाई,05 में सीबीए अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। जमीन को अभी कब्जे मे लिया जाना है क्योंकि ग्रामीण मुआवजा लेने में अनिच्छुक हैं तथा मानदंड के बाहर रोजगार की मांग कर रहे हैं।

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
7	कृष्णाशिला ओपनकास्ट, एनसीएल	4.00	4.00	-	741.62	4	चालू परियोजना (4.00 मि.ट. प्रति वर्ष) की यूसीई जून,2011 में अनुमोदित है। कोयले का उत्पादन 2007-08 के दौरान शुरू हुआ। 235.99 हेक्टेयर जमीन के लिए चरण- II मंजूरी प्राप्त कर ली गई। 87.14 हेक्टेयर भूमि दे दी गई। शेष 148.85 वन भूमि को अभी उ.प्र. वन विभाग द्वारा सुपुर्द किया जाना है।
8	अम्लोहरी ओपनकास्ट विस्तार, एनसीएल	4.00	5.00	1.00	1670.75 (1143.54 सहित वृद्धिक)	8.00	1352.04 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी के लिए 10 मि.ट. प्रतिवर्ष (वृद्धिक 6मि.ट. प्रतिवर्ष) की विस्तार परियोजना रिपोर्ट मई 06 में स्वीकृत हुई। सीआईएल द्वारा दिसम्बर, 09 में 1670.75 करोड़ रू. के लिए आरपीआर का अनुमोदन किया गया। 10 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए ईएमपी फरवरी,06 में प्राप्त किया गया।
9	कुसमुण्डा ओपनकास्ट विस्तार, एसईसीएल	10.00	15.00	5.00	450.56	15.00	15 मि.ट. प्रतिवर्ष (5 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट 450.56 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी से जून, 08 में अनुमोदित हुई। ईएमपी(15 मि.ट. प्रतिवर्ष) जून,09 में अनुमोदित की गई। 324.84 हेक्टेयर

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
							राजस्व वन भूमि (नियमितीकरण) के लिए वन मंजूरी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पास चरण-I मंजूरी के लिए लंबित है।
10	ब्लाक बी ओपनकास्ट, एनसीएल	3.50	3.50	-	535.10	4.00	चालू परियोजना (3.5 मि.ट. प्रतिवर्ष)। यूसीई जून, 2011 में अनुमोदित। कोयला उत्पादन 2007-08 के दौरान शुरू हुआ। शेष वनभूमि (85 हे.) की वर्ष 2013-14 में आवश्यकता होगी।
11	मगध ओपनकास्ट विस्तार, सीसीएल	12.00	20.00	8.00	706.40 (कुल ओएस विकल्प)	0.00	706.40 करोड़ रू. (20 मि.ट. प्रति वर्ष) की पूंजी से विस्तार परियोजना रिपोर्ट 20 मि.ट. प्रतिवर्ष अगस्त, 08 में अनुमोदित हुई। काश्तकारी जमीन का वास्तविक कब्जा में ग्रामीणों द्वारा मानदंडों के बाहर मुआवजा एवं रोजगार की मांग के कारण बिलंब हुआ।
12	भरतपुर ओपनकास्ट विस्तार, एमसीएल	11.00	20.00	9.00	131.39 5 वर्ष के लिए कोयला एवं ओबी-ओएस	11.00	सीआईएल बोर्ड द्वारा विस्तार परियोजना रिपोर्ट (20मि.ट.प्रतिवर्ष) 12.2.07 को अनुमोदित की गई। ईएमपी (20 मि.ट. प्रतिवर्ष अक्तूबर,08 में प्राप्त हुई) 134.41 हेक्टे. जमीन (मूल परियोजना के लिए जमीन सहित) की चरण -

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
					वृद्धिक		I की मंजूरी के लिए आवेदन आरसीसीएफ अंगूल के पास ओआरएसए तथा डीएफओ द्वारा अधि प्रमाणित डिजिटाइज्ड नक्शों के अभाव में लंबित है। साफ्ट कॉपी में डिजिटल प्लान तथा अधि प्रमाणन के लिए 26.12.11 को राजस्व पत्र ओआरएसएसी को प्रस्तुत किया गया।
13	खादिया ओपनकास्ट विस्तार, एनसीएल	4.00	10.00	6.00	1131.28	4.00	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (10 मि.ट. प्रतिवर्ष - 6 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) 1136.28 करोड़ रू. की वृद्धिक पूंजी के लिए जून,11 में सीआईएल द्वारा अनुमोदित है।
14	पिपरवार ओपनकास्ट, सीसीएल	6.50	10.00	3.50	21.87	9.90	विस्तार परियोजना रिपोर्ट (10 मि.ट. प्रतिवर्ष - 3.50 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।
15	जयंत ओपनकास्ट, एनसीएल	10.00	15.00	5.00	1060.03	12.00	1063.03 करोड़ रू. के बृद्धिक निवेश से 15 मि.ट. प्रतिवर्ष (5 मि.ट.प्रतिवर्ष बृद्धिक) की क्षमता के लिए विस्तार परियोजना रिपोर्ट एनसीएल बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया। एफआरए के अंतर्गत

क्र. सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत क्षमता (एम टी वाई)	प्रस्तावित वृद्धिक क्षमता (एम टी वाई)	ईसीपीपी के अधीन वृद्धिक उत्पादन क्षमता (एम टी वाई)	वृद्धिक क्षमता के लिए अनुमानित पूंजी (करोड़ रू.)	लक्ष्य के लिए 2011-12 (एम टी वाई)	टिप्पणी
							अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। 94.00 हेक्टे. वन भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है। 15.50 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए फार्म - I को एमओईएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार वानिकी मंजूरी के बाद सहायक कंपनी द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाना है।
16	दुधीचुआ ओपनकास्ट, एनसीएल	10.00	15.00	5.00	326.75	12.00	विस्तार परियोजना रिपोर्ट 15 मि.ट. प्रतिवर्ष - (2 मि.ट. प्रतिवर्ष वृद्धिक) क्षमता का 326.75 करोड़ रू. के वृद्धिक निवेश से एनसीएल बोर्ड द्वारा जुलाई,08 में अनुमोदन किया गया। सीबीए अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत 208 हे. भूमि अधिसूचित की गई। 15.50 मि.ट. प्रतिवर्ष के लिए फार्म- I एमओईएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार वानिकी मंजूरी के बाद सहायक कंपनी द्वारा पुनः प्रस्तुत की जानी है।

3.6 विदेश में कोयले परिसंपत्ति का अर्जन

भारत सरकार ने विदेश में कच्चे माल खरीदने के लिए सीपीएसई के बाद दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। इस नीतिगत दिशानिर्देशों में विदेश में खनिज

संसाधनों के अर्जन के लिए प्रक्रिया से संबंधित तथा अन्य मुद्दों में सीपीएसई की लचीलापन बढ़ाने की परिकल्पना है। इस नीति के अनुसरण में, सीआईएल विदेश में कोयला परिसंपत्ति के अर्जन के लिए नीति की एक नई सेट का डिजायन कर रही है जिसे अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

3.6.1 दीर्घावधि उठान के लिए संविदा (सीएलटीओ)

सीआईएल को यूएसए तथा इंडोनेशिया से आयात किए गए कोयले को पूरा करने के लिए व्यवहार्य पेशकश प्राप्त हुआ जो 2012 के प्रारंभ से 10 वर्षों की अवधि के लिए 57 मि.ट. प्रतिवर्ष की कुल मात्रा होती है। इन पेशकशों को विभिन्न उपभोक्ताओं को विचारार्थ भेजा गया है तथा उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं।

3.6.2 मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण

कोल इंडिया लिमिटेड को टेटे प्रांत के माटिज जिले में लगभग 224 वर्ग किमी. के क्षेत्र में दो कोयला ब्लाक ए-1 तथा ए-2 के लिए अन्वेषण लाइसेंस आबंटित किया गया था। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) को अगस्त 2009 में सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया है। सीआईएल शीघ्र आंबटित कोयला ब्लॉकों की अन्वेषण अध्ययन आरंभ करेगी।

3.6.3 विशेष उद्देश्य तंत्र (एसपीवी) तथा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का विदेश में निवेश पर विचार करने के लिए गठन।

विदेशों से धातुकर्मीय और थर्मल कोल परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), राष्ट्रीय खनिज विकास कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) और नेशनल थर्मल पॉवर कारर्पोरेशन (एनटीपीसी) जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को मिलाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात इन्टरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) नामक स्पेशल पर्पज व्हीहल (एसपीवी) का 20 मई, 2009 को गठन किया है। आईसीवीएल की प्रांरभिक प्रदत्त पूंजी 3500 करोड़ रूपये होगी जिसमें सेल और सीआईएल प्रत्येक का अंशदान 1000 करोड़ रूपये तथा आरआईएनएल, एनएमडीसी तथा एनटीपीसी प्रत्येक का अंशदान 500 करोड़ रूपये होगा। ये सब भागीदार कंपनियां हैं।

अपना अनुमोदन देते हुए, भारत सरकार ने प्रत्येक मामले में 1500 करोड़ रूपये से अधिक धातुकर्मीय और थर्मल कोल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए एसपीवी के विदेशी निवेश को अनुमोदन प्रदान करने के लिए इस्पात, खान, विद्युत, वित्त, कोयला, विदेश, निधि और न्याय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिवों की एक समिति का गठन किया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामले में इस समिति की सिफारिश को सीधे मंत्रिमंडल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के उपाय

बीसीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरूद्धार योजना को बीआईएफआर ने 28.10.2009 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति योजना में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है। बीसीसीएल, सीआईएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा योजना की सारी लागत (1350 करोड़ रूपये) ऋण के रूप में सीआईएल से ली जाएगी।

बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज की एक प्रति सीआईएल / बीसीसीएल को फरवरी, 2010 में इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया जाए। पुनरूद्धार पैकेज का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

3.8 केप्टिव खनन

- लोहा और इस्पात के निर्माताओं, विद्युत उत्पादन, खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 को समय-समय पर संशोधित किया गया।

- तत्पश्चात, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के गृहीत खनन हेतु भी सरकार द्वारा दिनांक 15.3.1996 की अधिसूचना के तहत अनुमति दे दी गई है तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत और सतह) के द्वारा प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन तथा कोयला द्रवीकरण को भी दिनांक 12.7.2007 की अधिसूचना के द्वारा अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया।

- इसके अलावा, राज्य सरकार की कम्पनियों अथवा उपक्रमों को 12 दिसम्बर, 2001 की संशोधित कोयला खनन नीति, 1979 (नई राज्य कोयला खनन नीति, 2001) की कतिपय शर्तों के अधीन देश में कहीं भी या तो ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धति से कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला भंडारों का कैप्टिव खनन करने की अनुमति दी जाती है।
- उपर्युक्त ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया गया जिसके तहत कोयला मंत्रालय में एक " जांच समिति " का गठन किया गया।
- जांच समिति की अध्यक्षता सचिव(कोयला) करते हैं । यह एक अन्तर-मंत्रालयी और अन्तर-सरकारी प्रकृति का निकाय है ।
- इस समिति में संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।
- यह कैप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए पात्र कंपनियों का चयन करती है।
- यह चर्चा और विचार-विमर्श की प्रक्रिया अपनाती है तथा आवेदकों के गुण-अवगुण के आधार पर आवंटन का निर्णय लेती है।

अभी तक लगभग 50 बिलियन टन के भूगर्भीय भंडार वाले 218 कोयला ब्लॉकों का कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों को किया गया है। इसमें से, 25 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। आवंटन रद्द किए गए ब्लॉकों में से, दो कोयला ब्लॉकों का उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र कंपनियों को पुनः आवंटन दिया गया था। उपर्युक्त को देखते हुए,निबल आवंटित ब्लॉक लगभग 44.23 बिलियन टन के भूगर्भीय भंडार के साथ 195 कोयला ब्लॉक हैं। क्षेत्र-वार आवंटन नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	क्षेत्र	सरकारी कंपनियों को		निजी कंपनियों को		यूएमपीपी / शुल्क आधारित बोली		कुल ब्लॉक	जीआर (मि.ट. में)
		ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)	ब्लॉकों की संख्या	जीआर (मि.ट. में)		
1.	विद्युत	42	14330.14	27	4974.20	12	4846.26	**81**	**24150.60**
2.	वाणिज्यिक खनन	40*	7369.86	-	-	-	-	**40**	**7369.86**
3.	लौह एवं इस्पात	2	393.80	61	8670.55	-	-	**63**	**9064.35**
4.	सीमेन्ट	-	-	6	628.74	-	-	**6**	**628.74**

5.	लघु एवं अलग	-	-	3	27.34	-	-	**3**	**27.34**
6.	सीटीएल	-	-	2	3000	-	-	**2**	**3000**
कुल		**84**	**22092.80**	**99**	**17300.83**	**12**	**4846.26**	**195**	**44239.89**

* विजय सेन्ट्रल कोल ब्लॉक कोल इंडिया लिमिटेड को लीडर के रूप में तथा एसकेएस इस्पात एंड पावर लि. को एसोसिएट के रूप में आवंटित किया गया। इसलिए इसे सरकारी क्षेणी में रखा गया।

समीक्षा समिति की कोयला ब्लॉकों के विकास की समीक्षा करने के लिए 11 तथा 12 जनवरी, 2012 को पुनः बैठक हुई। समिति द्वारा 58 मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई है।

3.8.1 कैप्टिव ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन

कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आवंटित कोयला ब्लॉकों में से, 28 ब्लॉकों ने उत्पादन शुरू किया। वर्ष 2011-12 के लिए उत्पादन (नवम्बर,2011 तक) 23.758 मि.ट. (अनंतिम) है।

3.9 कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी प्रणाली की शुरूआत ।

अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को ऐसी शर्तों जिसे निर्धारित किया जाए, पर प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में टोह की अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने के लिए प्रावधान करने के वास्ते 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है।

- ❖ जहां सरकारी कंपनी अथवा निगम को खनन अथवा ऐसी अन्य विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।
- ❖ जहां किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) दी गई है, को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया है।

सरकार ने कोयला एव लिग्नाइट ब्लॉकों की प्रतिस्पर्द्धी बोली आयोजित करने के लिए नियमावली को अंतिम रूप दिया है तथा उसकी विधीक्षा के लिए उसे विधि कार्य

विभाग भेजा गया है। खान मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस अधिनियम को चालू करने के बारे में अधिसूचित करे।

3.10 झरिया तथा रानीगंज कोलफील्डों में आग और घंसाव नियंत्रण - आग और घंसाव नियंत्रण

बीसीसीएल को पूर्व निजी मालिकों से राष्ट्रीयकरण के समय 70 आग वाली खान विरासत में मिली थी और तब से बीसीसीएल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत इन आगों पर नियंत्रण पाने और अन्य प्रकार से संगठित प्रयास किए गए थे। अपने अग्निशमन प्रयासों के भाग के रूप में, बीसीसीएल द्वारा 1976 से 1988 के दौरान 22 आग परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, जैसे सतह बन्द करना, खुदाई करना, ट्रेनचिंग, निष्क्रिय गैस को अन्दर डालना और दूर से सेन्ड / बेन्टनाईट मिश्रित फ्लशिंग आदि को लागू कर इन आग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रयास किए गए। इसके अलावा रेलवे लाईनों जोहड़ों और अन्य क्षेत्रों जहां पहुंचा जा सकता था, को बचाने के लिए स्थिरीकरण कार्य किया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिली :-

- 10 आगों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया।
- कुल बर्बादी से अधिकतर आग को नियंत्रित करना।
- प्रभावित सतही क्षेत्र 17.32 वर्ग कि.मी. से घटकर 8.90 वर्ग कि.मी. हो गया।
- बन्द कोयला भंडार 1864 मि.ट. से घटकर 1433 मि.ट. हो गया।

रानीगंज कोलफील्ड्स में 19वीं शताब्दी में उथली गहराई में मोटी सीमों में पाए जाने वाले अच्छी गुणत्ता वाले नान-कोकिंग कोयले का मनमाने ढंग से खनन किया गया। खानों के प्रवेशों के निकट छोटे क्षेत्रों का हाथ से खनन किया गया और पिल्लरों को अविवेकपूर्ण रूप से छोटा कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर खदानें धंस गई जिसके कारण धंसाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इसके फलस्वरूप, लगभग 8 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले अनेक आबादी वाले इलाकों में धंसाव का खतरा है। आबादी वाले क्षेत्रों के नीचे पड़ी पुरानी परित्यक्त खानें अधिकांश पानी से भरी हैं और पहुंच योग्य नहीं है। चालू परियोजनाओं सहित कुल 139 स्थलों को पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव है। 7 आग वाले स्थान भी हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है।

3.10.1 मास्टर प्लान का अनुमोदन

अधिकांश जोखिम वाले क्षेत्रों से आग, धंसाव और लोगों के पुनर्वास तथा सतही अवसंरचना के डायवर्जन के संबंध में झरिया कोलफील्डों के लिए मास्टर प्लान (मार्च 2008) अगस्त, 2009 में अनुमोदित की गई थी जिसमें ईएमएससी स्कीम के रूप में आरंभ की गई बीसीसीएल की आग नियंत्रण और पुनर्वास स्कीम के लिए निर्धारित 83.71 करोड़ रू. सहित 7112.11 करोड़ रू. के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है।

मास्टर प्लान बीसीसीएल, के सीधे सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यान्वयन के अधीन है और इसकी नियमित रूप से सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति द्वारा मानीटर किया जाता है। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की समय-समय पर कोयला मंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है।

3.10.2 निदर्शन स्कीम

- बीसीसीएल के अत्यन्त खतरनाक क्षेत्रों से 4600 मकानों (3100 गैर-बीसीसीएल अनाधिकृत और 1500 बीसीसीएल) के स्थानांतरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक निदर्शन स्कीम अनुमोदित की गयी थी और कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया था। स्कीम को फरवरी 2003 (61.09 करोड. रू.) में संशोधित किया गया था। स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

गैर-बीसीसीएल मकानों के पुनर्वास को कार्यान्वित करने के लिए, झारखण्ड राज्य सरकार ने यह कार्य झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) को सौंपा है।

- प. बंगाल सरकार ने, अस्थिर अधिनियम 1979 के अनुसार अस्थिर क्षेत्रों के रूप में 4 पुनर्वास स्थलों / क्षेत्रों (निदर्शन) अर्थात सामडीह, हरीशपुर, बंगालपारा रिफ्युजी कालोनी एवं केन्दा गांव को अधिसूचित किया है। मास्टर प्लान क्रियाकलापों के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसी आसनलोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) ने आदिनांक 48 स्थानों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पूरा किया। 04 स्थानों में कोई बसावट नहीं पाया गया, सर्वेक्षण कार्य 5 स्थानों पर चल रहा है।

  गैर-ईसीएल मकानों के पुनर्वास को कार्यान्वित करने के लिए प. बंगाल राज्य सरकार ने यह कार्य पहले ही आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) को सौंप दिया है।

- मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** के रूप संलग्न है।

अनुबन्ध

(अध्याय III-पैरा 3.10)

बीसीसीएल की झरिया कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान की स्थिति (31.12.2011 तक)

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
(क)	**वर्तमान स्थिति**	• झरिया कोलफील्ड्स के लिए मास्टर प्लान **(मार्च, 2008)** का अनुमोदन अगस्त, 2009 में **7112.11 करोड़ रू.** के अनुमानित निवेश से किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल, झारखंड सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आर एंड आर पैकेज के लिए 25.06.2008 को अपना अनुमोदन दे दिया। • एचपीसीसी की पहली बैठक सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई। • अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक विचार-विमर्श बैठक 17.12.2009 को सीआईएल के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। • एचपीसीसी की दूसरी बैठक 05.03.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। • उच्च अधिकार प्राप्त केन्द्रीय समिति की तीसरी बैठक झरिया मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 18.11.2010 को आयोजित की गई। • कोयला मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा 19.11.2010 को की गई। • एचपीसीसी की 4थी (चौथी) बैठक 15.2.2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। •एचपीसीसी की 5वीं (पांचवी) बैठक 20.8.2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		●एचपीसीसी की 6वीं (छठी) बैठक 23.12 .2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
(ख)	कार्यान्वयन पूर्व क्रियाकलाप	1. आग से निपटना; (क) आग वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एनआरएसए (रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद) द्वारा थर्मल इन्फ्रारेड सर्वेक्षण (टीआईआर) तथा अन्य सर्वेक्षण। (ख) आग से निपटने के लिए चरण-1 (पहला और दूसरा वर्ष) के लिए स्कीमों की तैयारी / कार्यान्वयन (पूंजी 3.77 करोड़ रू.) 2. पुनर्वासन परियोजनाओं के लिए जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण (प्रथम चरण) (पूंजी 1.24 करोड़ रू.) 3. बीसीसीएल और गैर बीसीसीएल आवासों के लिए चरण-1ली तथा 2री वर्ष के वास्ते भूमि का अर्जन (पूंजी 138.83 करोड़ रू.) 4. भूमि के अर्जन के लिए चरण-1 (पहला और दूसरा चरण) के अंतर्गत आकस्मिक निधि (3%) और सर्वेक्षण (5%) (पूंजी 11.11 करोड़ रू.)
	आग से निपटना (क) आग वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एनआरएसए (रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद) द्वारा थर्मल इन्फ्रारेड सर्वेक्षण (टीआईआर) तथा अन्य सर्वेक्षण। (ख) आग से निपटने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा की जाने वाली स्कीमों की तैयारी। (ग) सीआईएमएफआर द्वारा जीआईएस मैपिंग।	(क) मोटे रिजोल्यूशन के लिए टीआईआर सर्वेक्षण दिसम्बर 2006 में पूरा किया गया तथा दिस., 2011 तक कुल व्यय 11.10 लाख रू. है। (ख) सीएमपीडीआई द्वारा कुल 45 आग योजनाएं तैयार की जानी है। सीएमपीडीआई द्वारा छः (6) आग योजनाएं तैयार की गई है और बीसीसीएल द्वारा अनुमोदित की गई। दिसम्बर, 2011 तक 8.53 लाख रू. का कुल व्यय हुआ। (ग) दिसम्बर, 2011 तक 5.03 लाख रू. का कुल व्यय जीआईएस मैपिंग पर हो चुका है।

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
	पुनर्वास परियोजनाएं: गैर- बीसीसीएल मकानों के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, मूल्यांकन सर्वेक्षण और अन्य सर्वेक्षण।	बीसीसीएल ने जेआरडीए / राज्य सरकार को अग्रिम के रूप में 31.12.2011 को जेआरडीए को 135.49 लाख रू. जारी किया। जेआरडीए द्वारा सीआईएमएफआर और आईएसएम को कार्य अवार्ड किया गया है। दिसम्बर, 2011 तक किया गया व्यय 56.54 लाख रू. था।
	चरण-I में गैर- बीसीसीएल मकानों के लिए **भूमि अधिग्रहण** और बीसीसीएल मकानों के लिए पुनर्वास योजना तैयार करना एवं मास्टर प्लान के अंतर्गत 48.53 एकड़ सरकारी जमीन तथा 638.73 हे. जमीन का भू-अर्जन।	सीआईएल ने बीसीसीएल को भूमि अधिग्रहण के लिए 54.865 करोड़ रू. रिलीज किया जिसमें से निप्पनियां और स्वायगढ़ मौजा में 145 हे. भूमि का अधिग्रहण करने के लिए और 48.53 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए 10.12 करोड़ रू. का उपयोग किया गया। जेआरडीए को मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रथम चरण के लिए 638.73 हे. भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 44.745 करोड़ रू. प्राप्त हुआ है।
ग	**आग संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन**	1. **कुंजामा कोलियरी, बस्ताकोला क्षेत्र में चटकारी जोर का डायवर्जन:** (6.88 करोड़ रू.) (क) जोर डायवर्जन के लिए की जाने वाली कटाई की कुल मात्रा 1.05 लाख घनमीटर (ख) आज की तारीख तक कटाई की गई कुल मात्रा 0.91225 लाख घन मीटर (ग) दिसम्बर 2011 तक किया गया व्यय: 1.79 करोड़ रू. यह योजना पूरा किए जाने के अधीन है। **2. सुदामडीह- पाथरडीह कोलियरी, ईजे क्षेत्र में पाथरडीह लिंक रेलवे लाइन की सुरक्षा:** (25.04 करोड़ रू.) (क) किए गए फिलिंग और ब्लैंकेटिग की कुल मात्रा: 10.06 लाख घनमीटर 17.427 लाख घनमीटर में से (अतिरिक्त बोझ और अधिकतर दहन नहीं किए

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		जाने वाले सामग्री पास के कार्यरत खान से उपलब्ध कराया गया।) (ख) भरा गया रेत- 99114 घनमीटर में से 3000 घनमीटर। (ग) दिसम्बर 2010 तक किया गया व्यय: 0.377 करोड़ रू.। इस योजना को बंद / पूरा कर लिया गया है। **3. ईस्ट वसूरिया कोलियरी, कुसुण्डा क्षेत्र में के टी लाइन की सुरक्षा:** (8.513 करोड़ रू.) (क) एक डीजल पम्प और 600 मीटर एमएस पाइप की खरीद की गई। (ख) आज की तारीख तक की गई खदान के किनारों की फिलिंग और ब्लैंकेटिंग की कुल मात्रा- 542163 घनमीटर में से 15492 घनमीटर। (ग) किए गए बोरहोलों की संख्या- 39 (1475 मीटर) में से 8(315 मीटर) और गैलरियों में 4 बोरहोल जोड़े गए। (घ) दिसम्बर 2011 तक किया गया व्यय**:** 0.534 करोड़ रू. **4. सेन्द्रा बंसजोरा कोलियरी , सिजुआ में गोपाल गरेरिया सब स्टेशन में X सीम में आग से निपटना:** (9.91 करोड़ रू.) (क) किया गया ओबी रिमूवल- 1.20 मि. घन मी. में से 0.680 मि.घ. मी.। (ख) की गई फिलिंग - 0.17 मि. घन मी. में से 0.0662 मि. घन मी.। (पूरा कर लिया गया) (ग) दिसम्बर 2011 तक किया गया व्यय 4.18 करोड.रू. योजना पूरी कर ली गई।

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		5. न्यू आकाश किनारी (पूर्व में ईस्ट कतरास कोलियरी) XI, XIII और XIV, गोविन्दपुर क्षेत्र में आग से निपटनाः (पूंजीः 30.91 करोड़ रू.) सीएमपीडीआईएल द्वारा योजना संशोधित की गई है और 29.3.2008 को बीसीसीएल की 258वीं बोर्ड में अनुमोदित किया गया। ट्रेंच कटाई के लिए प्रस्ताव आग के और अधिक फैलने के कारण समीक्षा की प्रक्रियाधीन है। **6. गोधुर कोलियरी में VII सीम आग से निपटने की योजनाः** (पूंजी 12.12 करोड़ रू.) : निम्नलिखित क्रियाकलाप की जानी थीः (क) की जाने वाली खुदाई-1.4 मि.घन मीटर (ख) की जाने वाली ब्लेंकेटिंग -037 मि. घन मीटर हैम को भाड़े पर लाने के बाद कार्य किया गया है।
घ	**ईएमएससी योजनाएं**	**1. राजापुर (ईएमएससी-21):** (पूंजी 471.87 लाख रू.) (क) की गई रेतभराई 77000 घनमीटर में से 29971 घनमीटर (ख) की गई फिलिंग और ब्लैंकेटिंग- 2.5 लाख में से 510557 घन मीटर इसे 14.04.10 को बंद किया गया है तथा बंदी का अनुमोदन 227वीं बीसीसीएल बोर्ड द्वारा किया गया। **2. 125 हेक्टेयर में खराब भूमि का पुनरूद्वार (ईएमएससी-34), (पूंजीः 66.25 लाख रू.)**

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		(क) डीएफओ धनबाद के माध्यम से कार्य प्रगति पर है। 80 हेक्टेयर में पौधारोपण किया गया। गैर- कोयलाधारी भूमि की अनुपलब्धता के कारण शेष कार्य प्रभावित है। संचयी। (ख) दिसम्बर 2011 तक व्ययः 34.49 लाख रू.। यह स्कीम बंद होने के प्रक्रियाधीन है। **3. बीसीसीएल के सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों से व्यक्तियों का स्थानान्तरण (ईएमएससी-24)**, (पूंजी 6109 लाख रू.) यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। बीसीसीएल को आज तक 50.92 करोड़ रू. प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त के अलावा 2 ईएमसी योजनाएं नामतः अलकूसा (ईएमएससी-22) और उद्योग (ईएमएससी-23) पहले ही पूरी की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए किया गया व्यय क्रमशः 255.096 लाख रू. और 72.349 लाख रू. हैं।
ड.	आरसीएफएस योजनाएं	**1. लोदना और बागडिग्गी कोलियरी, (आरसीएफएस-01) लोदना क्षेत्र में घनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग और धंसाव के नियंत्रण की योजना।** (पूंजी-292.00 लाख रू.) (क) सीएमपीडीआईएल द्वारा पीआर संशोधित की गई है। (ख) यह योजना छोड़े जाने के लिए प्रस्ताव है। दिसम्बर, 2011 तक हुआ व्यय 2.88 लाख रू. है। **2. ब्लाक-II ओसीपी और फुलारीटांड (आरसीएफएस-02), ब्लाक- II क्षेत्र /**

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		बरोरा क्षेत्र में आद्रा-गोमो रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजना। (पूंजी-578.00 लाख रू.) (क) मूल योजना XI और XII सीमों में आग से निपटने के लिए थी। चूंकि आग XIII सीम तक फैल गई है, इसलिए बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 12.9.2005 को आयोजित इसकी 242वीं बैठक में XIII सीम में आग से निपटने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। (ख) फायर टेंडर और समसिबल पम्प को छोड़कर पी एंड एम की खरीद पूरी हो गई है। (ग) पूर्ण हुआ खदान किनारा भराव-750000 घनमीटर में से 680429 घनमीटर। दिसम्बर 2011 तक संचयी व्यय : 233.310 लाख रू यह स्कीम बंद होने के प्रक्रियाधीन है। 3. जीनागोरा बरारी कोलियरी (आरसीएफएस-03) के चटकारी जोर, लोदना क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजना। (पूंजी-769.82 लाख रू.) भूमि विवाद के कारण डायवर्जन की प्रगति प्रभावित हुई। यह योजना पहले से बंद थी तथा पहले से बंद किए जाने की रिपोर्ट 26.2.2010 को आयोजित 267वीं बीसीसीएल बैठक में अनुमानित की गई। **4. बरारी कोलियरी (आरसीएफएस-04), लोदना क्षेत्र में धनबाद-पाथरडीह रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए आग से निपटने हेतु योजनाः** (पूंजी-577.27 लाख रू.) (क) रेलवे लाइन को समाप्त करने के कारण बन्द कर दिया गया तथा बीसीसीएल बोर्ड द्वारा 27.08.2005 को आयोजित बीसीसीएल की 242वीं

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
		बैठक के माध्यम से योजना को बन्द किया जाना अनुमोदित किया गया। (ख) दिसम्बर 2011 तक व्ययः 114.344 लाख रू.
	मकानों का पुनर्वास (इसएमएससी-24): **(क) बीसीसीएल मकान** 1. परिवारों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण तथा पहचान आदि 2. पहचान पत्र जारी करना। 3. मकानों का निर्माण	1. चरण-1 के लिए पूर्ण। 2. कर्मचारियों के पास अपने पहचान पत्र हैं। 3. 35.89 करोड़ रू. की स्वीकृत लागत से कुल 1500 मकानों का निर्माण किया जाना है। (क) भूली, भीमकनाली, नीचितपुर और कतरास कोयला डम्प में 3 मंजिलें ब्लॉकों में 344 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया हैं। (ख) 204 लोगों को पहले ही नए मकानों में शिफ्ट कर दिया गया है और स्थलों पर विकास कार्य तथा आगे शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। (ग) बीसीसीएल के कर्मचारियों की शिफ्टिंग के लिए 1152 खनिक क्वार्टरो / आवासों के निर्माण के लिए निविदा को 50.88 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से अंतिम रूप दिया गया है और कुसुण्डा में 444 मकानों, कतरास में 360 मकानों, सिजुआ में 156 मकानों और लोदना क्षेत्र में 192 में मकानों के निर्माण के लिए 22.10.2010 को मैसर्स कमला कन्सट्रक्शन को कार्य दिया गया है। सिजुआ में भूमि की समस्या के कारण, 156 मकानों को कुसुण्डा में स्थानांतरित किया गया। 79 ब्लॉकों को भूतल का छत ढाला गया है। 71 ब्लॉकों की पहली मंजिल का छत ढाला गया है। 51 ब्लॉकों की दूसरी मंजिल का छत ढाला गया है। (घ) दिसम्बर 2011 तक 344 मकानों के निर्माण और विकास कार्य के लिए व्ययः 736.00 लाख रू.। (ङ.) दिसम्बर, 2011 तक 1152 घरों के निर्माण के लिए व्यय-20.00 करोड़ रू.।

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
	(ख) गैर-बीसीसीएल मकान 1. पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का निर्माण। 2. गैर-बीसीसीएल लोगों के लिए मकानों का निर्माण।	(1) राज्य सरकार ने मास्टर प्लान के तहत गैर-बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) का गठन किया है। (क) कुल 3100 गैर-बीसीसीएल अनाधिकृत मकानों का निर्माण किया जाना है। (ख) बेलगोरिया स्थल पर मै एचएससीएल द्वारा 900 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। विकास कार्य चल रहा है। (ग) मै. एनबीसीसी द्वारा शेष 1452 मकानों का निर्माण बेलगोरिया स्थल पर पूरा हो गया है। विकास कार्य चल रहा है। (घ) स्थानीय लोगों के साथ भूमि विवाद समस्या के कारण शेष 748 मकानों का निर्माण आरंभ नही किया जा सका। (ङ.) 1043 परिवारों को 31.12.2011 तक झरिया बिहार, बेलगोरिया स्थानांतरित किया गया है। (च) शिफ्टिंग भत्ता के रूप में अतिक्रमण करने वाले 983 परिवारों में प्रत्येक को 10,000/- रू. दिया गया है। (छ) 809 परिवारों (अतिक्रमण करने वाले) में प्रत्येक परिवार को मात्र छः माह के लिए 125 दिनों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया है। 625 परिवारों को 250 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया है। (ज) बाजार परिसर, बैंक, पोस्ट-ऑफिस के निर्माण के लिए कार्य आदेश जेआरडीए को जारी किए गए हैं तथा कार्य पहले से शुरू हो गया है। (झ) दिसम्बर 2011 तक व्ययः 2519.00 लाख रू.

3.11 कर्मचारियों के कल्याणार्थ उपाय :

कल्याणकारी उपाय	राष्ट्रीयकरण के समय	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार	31.12.2011 की स्थिति के अनुसार
उपलब्ध मकानों की सं.	1, 18,366	4,21,557	4,19,102	4,15,465
आवासीय संतोषप्रदत्ता (%)	21.07 %	100%	100%	100%
जलापूर्ति योजना के तहत शामिल जनसंख्या	2, 27,300	22,94,968	22,94,973	21,01,583
अस्पताल (सं.)	49	85	86	85
डिस्पेन्सरी (सं.)	197	424	423	424
एम्बूलेंस (सं.)	42	667	640	667
अस्पताल में बिस्तर	1482	5835	5835	5806
शैक्षिक संस्थाएं जिन्हें अनुदान-सहायता/अवसंरचनात्मक/समय-समय पर सहायता प्रदान की गई है	287	590	623	623*
कैन्टीन (सं.)	210	481	481	481*
सहकारी समितियां (सं.)	177	333	333	333*

* अनंतिम

सीआईएल की एक सुपरिभाषित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति (आर एंड आर पालिसी-2008) है जिसमें भू-वंचितों द्वारा पात्रता को पूरा करने की शर्त पर तथा संबंधित सहायक कंपनी के निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर रिक्तियों को भरने हेतु अपवादस्वरूप परिस्थितियों में अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले में रोजगार के प्रावधान की व्यवस्था है।

3.12 महारत्न/नवरत्न दर्जे की घोषणा

सीआईएल को महारत्न दर्जा

देश में इसके महत्व और उपलब्धियों पर विचार करते हुए, सीआईएल को 11.04.2011 से महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी के रूप में सीआईएल को अब इसके कार्य में व्यापक वित्तीय शक्तियां तथा और अधिक स्वायन्तता प्रदान की गई है।

एनएलसी को नवरत्न का दर्जा

एनएलसी को भी 11.04.2011 को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनी के रूप में, एनएलसी को इसके कार्य में व्यापक वित्तीय शक्तियां तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

3.13 कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक की स्थापना

प्रारूप विधेयक, 2010 के साथ-साथ कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना पर प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। सभी मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्रारूप विधेयक को की जांच मंत्रालय में पुनः की गई थी और उसे अब विधि मंत्रालय द्वारा विधिक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार प्रारूप विधेयक के साथ संशोधित प्रारूप मंत्रिमण्डल टिप्पणी को विधि मंत्रालय भेजा गया है। जैसे ही विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होगी, उक्त विधेयकों मंत्रिमण्डल के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसद में इसे पेश किए जाने के लिए अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

3.14 कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में संशोधन

सरकार ने कोयला और लिग्नाइट संबंधी रॉयल्टी दरों को संशोधित करने के लिए अध्ययन समूह गठित किया है। उक्त अध्ययन समूह ने प्रश्नावलियों तथा सीधी बैठकों के माध्यम से संबंधित स्टेकहोल्डरों के विचार/टिप्पणियां एकत्रित करने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अध्ययन समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने कोयला एवं लिग्नाइट संबंधी रायल्टी दरों के संशोधन पर सीसीईए नोट तैयार किया है तथा उसे अंतर्मंत्रालयी परामर्श के लिए 21.12.2011 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया है।

3.15 (जीसीवी) आधारित ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर कोयला का मूल्य निर्धारण (01.01.2012 से प्रभावी)

सरकार ने 01.01.2012 से गैर-कोकिंग कोयले के मौजूदा उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) आधारित ग्रेडिंग और मूल्य निर्धारण प्रणाली के स्थान पर सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित वर्गीकरण अपनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार कोयले की यूएचवी आधारित ग्रेडिंग की पूर्व की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर जीसीवी आधारित वर्गीकरण अपनाया गया है और कोयला कंपनियों ने 01.01.2012 से नई कीमतें अधिसूचित की हैं। उपर्युक्त परिवर्तन का निर्णय एक एतिहासिक कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय कोयला व्यापार प्रथाओं पर आधारित है। एकीकृत ऊर्जा नीति दस्तावेज तथा कोयला क्षेत्र में सुधार संबंधित विशेषज्ञ समिति ने भी इसकी सिफारिश की। जीसीवी आधारित प्रणाली के कार्यान्वयन से कोयले की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार तथा उपभोक्ता की शिकायतों के कम होने की आशा है।